न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 247/2022

अनवान : –

1. अरविन्द कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति बिश्नोई निवासी चक 4 केएमपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. लालचंद पुत्र सांवता जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया/नोहर तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक आईडीबीआई बैंक शाखा चक सरदापुरा तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

5. ओम प्रकाश पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी चक हरिपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 07/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 266/140 के खसरा नं. 14 का कुल क्षेत्रफल 10.1940 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खसरा नं. 14 की 10.1940 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा यानी सम्पूर्ण 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 14 बीघा भूमि सायल ने तथा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि तरतीवी गैरसायल संख्या 5 ने जरिये बैयनामा दिनांक 17.12.1997 को खरीद की थी तथा दिनांक 17.12.1997 को उप पंजीयक नोहर से पंजीकृत है। गैरसायल संख्या 1 ने कहा कि उपरोक्त भूमि का नामान्तरण मैं आपके पक्ष में दर्ज करवा दूंगा और बाद में बात हुई तो गैरसायल संख्या 1 ने कहा कि नामान्तरण आपके नाम दर्ज हो गया है लेकिन आज भी राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है। जिस पर गैरसायल संख्या 1 ने विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 04.08.2015 को बैंक से केसीसी ऋण भी उठा लिया है। रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के के खसरा नं. 14 की कुल 10.1940 है० भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि में से 14 बीघा भूमि सायल की व 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि तरतीवी गैरसायल संख्या 5 की जरिये वैयनामा खरीद शुदा है इसलिए सायल मुताबिक वैयनामा भूमि का नामान्तरण दर्ज करवाने का अधिकारी है।

सायल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और गैरसायल संख्या 1 के मन में लालच आ गया तथा बेचान की गई भूमि का नामान्तरण सायल व तरतीवी गैरसायल संख्या 5 के पक्ष में दर्ज नहीं करवाया तथा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरसायल संख्या 1 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए गैरसायल संख्या 1 ने उपरोक्त भूमि पर केसीसी ऋण भी ले लिया तथा अब भूमि को रहन, बैय करने की फिराक में है यदि ऐसा हो गया तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि गैरसायल संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को रहन, वैय व मुन्तकिल ना करे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि ता फैसला दावा गैरसायल संख्या 1 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि विवादित कृषि भूमि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के के खसरा नं. 14 की कुल 10.1940 है० भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि को रहन बैय व मुन्तकील ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के ख0न0 14 की कुल 10.1940 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायल एवं तरतीबी गैरसायल सं. 5 द्वारा गैरसायल सं. 1 को मुगलाते में रखकर उक्त भूमि का बैयनामा करवा लिया तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध मे रिट माननीय न्ययालय जोधपुर में रिट संख्या 3373/2024 बअनवानी अरविन्द कुमार बनाम राजस्व मण्डल अजमेर जोधपुर में जैरकार है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बध में वाद माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में वाद संख्या 281 / 1998 व बअनवानी रोहिताश आदि बनाम लालचन्द आदि जैरकार था जिसका निर्णय दिनांक 28/12/2009 को हो चुका है तथा उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध गैरसायल सं. 1 ने पुत्रगणो ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में अपील संख्या 36/2004/223 आर.टी. एक्ट बअनवानी रोहिताश आदि जरिये माता बनाम लालचन्द आदि पेश की तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 14/01/2005 को अपील स्वीकार फरमाई गई तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय विरुद्ध सायल एवं तरतीबी गैरसायल सं. 5 द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 14/01/2005 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील डिक्री / टी.ए/496/ हनुमानगढ़ बअनवानी अरविन्द्र कुमार आदि बनाम रोहिताश आदि पेश की तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 01/10/2013 माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ पारित निर्णय यथावत रखा गया है। ननीनय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14/01/2005 बअनवानी रोहिताष आदि बनाम लालचन्द आदि में अपीलान्ट रोहिताष, राजु आदि एवं गैरसायल सं. 1 का 1/2 हिस्सा में ब.हि.ब. घोषित किया गया एंव सायल एवं तरतीबी गैरसायल सं. 5 का बैयनामा दिनांक 17/12/1997 में गैरसायल सं. 1 द्वारा हक व हिस्सा से अधिक बैयनामा करवाया गया माना तथा अन्तरण अपीलान्ट के अधिकारो बेअसर है तथा उपरोक्त [illegible] माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी यथावत रखा गया है तथा गैरसायल सं. 1 उपरो[illegible] स्टोपल है। वादग्रस्त भूमि से सम्बधित माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मेंबअनवानी अरविन्द कुमार बनाम आदि बनाम राजस्व मण्डल अजमेर में रिट पिटिशन जैरकार है तथा सायल स्वंय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिटिशन पेश कर गई तथा उसके बावजुद भी माननीय न्यायालय में दरख्वास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेश किया गया जो कतई नाकाबिल चलने योग्य है इसलिए दरख्वास्त सायल काबिल इखराजी है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के ख0न0 14 की कुल 10.1940 हैक्ट भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि में से 14 बीघा भूमि सायल व 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि तरतीबी गैरसायल स0 1 ने जरिये रजिस्र्ड बैयनामा खरदी की है लेकिन आज भी वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे रिट विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णयों की चित्रप्रति के मुताबिक न्यायालय हाजा, राजस्व अपील अधिकारी हनुमान व रेवेन्यू बोर्ड से उक्त वाद भूमि से बाबत विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के बाद वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट विचाराधीन है उक्त वाद भूमि बाबत अपर न्यायालयों द्वारा पूर्व में निर्णिय पारित किये जा चुके है एवं वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 03.01.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक....07/10/25.... मेरे [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:15:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर